

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 116/17

संस्थित दिनांक-28.03.17

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. संजय पुत्र गंभीरसिंह गुर्जर उम्र 40 साल
 2. भूपेन्द्र पुत्र गंभीरसिंह गुर्जर उम्र 42 साल
 3. मेवाराम उर्फ अल्ला पुत्र गंभीरसिंह गुर्जर उम्र 32 साल
 4. रामप्रीत पुत्र सोबरनसिंह गुर्जर उम्र 22 साल
- निवासीगण चिमनगंज गोहद चौराहा जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 03.11.2017 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324 सहपठित धारा 34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दि० 16.07.16 को 13 बजे डिरमन गोहद पर अपने अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी रामदास की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया जिसके अग्रशरण में संयुक्ततः अथवा प्रथक्कतः धारदार हथियार से मारपीट कर उसे स्वेच्छा उपहति कारित की, जिसके लिए वे समान रूप से उत्तरदायी हैं।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि आहतगण का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 323, 294, 506 बी के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324 सहपठित धारा 34 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि आहत रामदास दिनांक 16.07.16 को दोपहर करीब एक बजे अपने भाई वृन्दावन के साथ मवेशी चरा रहा था उसी समय अभियुक्तगण आए और रामदास को मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगे। जब रामदास ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त संजयसिंह ने लाठी मारी जो रामदास को पीठ में लगी। अभियुक्त भूरा ने कुल्हाड़ी मारी जो सिर में लगी। अल्ला व रामप्रीत ने लातघूंसों से मारपीट की। जाते समय जान से मारने की धमकी

देकर आरोपीगण चले गए। उक्त आशय की रिपोर्ट फरियादी वृन्दावन द्वारा की गयी जिससे अपराध क्रमांक 181/16 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिरा कर गिरा पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या दि० 16.07.16 को 13 बजे आहत रामदास को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व डिरमन गोहद पर अपने अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी रामदास की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया जिसके अग्रशरण में संयुक्ततः अथवा प्रथक्कतः धारदार हथियार से मारपीट कर उसे स्वेच्छा उपहति कारित की, जिसके लिए वे समान रूप से उत्तरदायी हैं ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रामदास अ०सा० 01, वृन्दावन अ०सा० 02 व राजू अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निराकरण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

7. आहत रामदास अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटना साक्ष्य से एक सवा साल पहले डांडे वाले खेत की है। उनका आरोपीगण से मुंहवाद व गाली गलौच हो गया था। उसे धक्का मुक्की में चोट आई थी जिनकी पुलिस ने डाक्टरी कराई थी। अपने अभिसाक्ष्य में किसी अभियुक्तगण द्वारा किसी हथियार लाठी या कुल्हाड़ी आदि से मारपीट किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं करता है। फरियादी वृन्दावन अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में रामदास के समान ही कथन करते हैं और बताते हैं कि उन्हें रामदास ने बताया था कि आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था। इस प्रकार से यह साक्षी स्वयं घटना के चक्षुदर्शी साक्षी होने के संबंध में भी संदेह उत्पन्न कर देता है। यह साक्षी भी अभियुक्तगण द्वारा लाठी व कुल्हाड़ी से उपहति पहुंचाए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं करता। राजू अ०सा० 3, जो आहत रामदास का पुत्र है वह बताता है कि घटनास्थल पर वह बाद में पहुंचा तब पिता ने बताया कि आरोपीगण से मुंहवाद हो गया। साक्षी यह बताने में भी

अस्मर्थ है कि पिता को कैसे चोटे आई। उक्त सभी साक्षीगण अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर दिए गए। इस प्रकार से अभियोजन साक्षीगण द्वारा मामले का सारवान समर्थन नहीं किया है।

8. फरियादी वृन्दावन अपने अभिसाक्ष्य में रिपोर्ट प्र०पी० 2 में बी से बी भाग पर अभियुक्तगण द्वारा लाठी एवं कुल्हाड़ी से उपहति पहुंचाए जाने के संबंध में तथ्य लिखाए जाने से इंकार करता है। इसी प्रकार से अभियोजन द्वारा साक्षीगण से सूचक प्रश्नों में पुलिस कथन क्रमशः प्र०पी० 1, 4 व 5 के विनिर्दिष्ट ए से ए भाग की ओर साक्षीगण का ध्यान आकर्षित कराया गया, तो साक्षीगण द्वारा वैसे तथ्य कथन में लिखाए जाने से इंकार किए हैं। इस प्रकार से अधिरोपित आरोप के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई भी सारवान साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। प्रकरण में अभिकथित घातक हथियार लाठी अथवा कुल्हाड़ी कुछ भी जब्त नहीं हैं। इस प्रकार से संपूर्ण मामला संदेहास्पद हो जाता है।

9. संहिता की धारा 324 के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु असन, भेदन या धारदार वस्तु या क्षारीय वस्तु अथवा ऐसी घातक वस्तु जिसका इस प्रकार प्रयोग करने से मृत्यु कारित होना संभव है, के माध्यम से स्वेच्छा उपहति कारित किए जाने के संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है। अभिलेख पर स्वयं आहत ने अभियुक्त या अभियुक्तगण के विरुद्ध मानव दांत से उपहति कारित किए जाने के संबंध में कथन नहीं किया है। जहां तक रिपोर्ट प्र०पी० 2 एवं पुलिस कथन प्र०पी० 1, 4 व 5 का प्रश्न है तो उसके संबंध में सुस्थापित है कि वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ़्त के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। अतः अभियुक्तगण संदेह के आधार पर संहिता धारा 324 सहपठित धारा 34 से दोषमुक्त किया जाता है। राजीनामा का प्रभाव अन्य आरोपों के संबंध में शमन किए जाने के आधार पर दोषमुक्ति का होगा।

10. अभियुक्तगण की जमानत भारमुक्त की जाती है। उनके निवेदन पर मुचलके निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेंगे।

11. अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि कुछ नहीं।

12. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए०के० गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश